

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर
क्रमांक / कैम्प / 2021 / 462

दिनांक 10/11/21

आदेश

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार दांतारामगढ के आधार पर ग्राम रामगढ पर
रामगढ की कुमी खाता संख्या 169 के खालेशा गिरधारी लाल
पुत्र अर्जुन लाल के स्थान पर गिरधारी कुमावत पुत्र अर्जुन लाल
को देने के आदेश दिए जाते हैं। किसी भी न्यायालय की
अज्ञात नहीं की जाये।

तहसीलदार दांतारामगढ निर्देशित किया जाता है कि आदेश के अनुसार राजस्व रिकार्ड में
अमलदारामद कर पालना से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ जिला सीकर
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर